The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no amendments to Clauses 89 and 90. I will put them to the vote of the House. The question is:

"That clauses 89 and 90 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 89 and 90 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1—(Short title, extent and commencement)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is Government amendment.

Amendment made:

"Page 1, line 5,—

for "1981", *substitute* "1982" (2)

(*Shri Janardhana Poojary*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: Now, we take up Enacting Formula. There is Government amendment.

Amendment made:

"Page 1, line 1,—

for "thirty-second", *substitute* "Thirty-third" ". (1)

(*Shri Janardhana Poojary*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

17.49 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

TENDER FROM MINISTRY OF DEFENCI TO NTC FOR SUPPLY OF CLOT:

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Half-an-Hour discussion.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत 9 जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या 23 का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिये मैं यह आध घंटे की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 8 दिसम्बर, 1981 को 30 लाख 20 हजार 3 सो ग्रॉलिफ ग्रीन पोलियस्टर कपड़े का टेंडर नम्बर बी/8918/डी० जी०आई /स्टोर-4 रक्षा मंत्रालय ने निकाला था । जिसमें 30 मिलों ने टेंडर भरा । जिसमें बिन्नी" ने 44.65 रुपये का टेंड भगा था । परन्तु आप जानते हैं कि ए टी सी पब्लिक अन्डर टेकिंग है और दे

की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो जनता शासन में 10 प्रतिशत प्राइस प्रिफरेंस पब्लिक सेक्टर्स से छीना गया था, उसका दुबारा आदेश किया । आज जो वर्तमान वाणिज्य मंत्री है, उस वक्त वे रक्षा मंत्री थे । उन्होंने एन टी सी को नेगोसिएशन के लिये बुलाया और 49 रुपये तथा डयूटी पर मीटर के हिसाब से एन टी सी को कपड़ा सप्लाई करने के लिये आदेश दिया । एन टी सी ने कपड़ा सप्लाई नहीं किया, परन्तु एन टी सी ने रक्षा मंत्रालय को यह नहीं बताया कि मूल टेंडर जो कपड़े की सप्लाई का है वह किस दर पर पड़ा था ।

मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को भी एनटी सी के अधिकारियों द्वारा गुमराह किया गया है : मंत्री जी को भी नहीं बताया गया कि जो टेंडर था, उसमें बिन्नी लिमिटेड ने कितना पैसा कोट किया था । मंत्री जी ने बिना सोचे विचारे रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा कि मैं कपड़े की सप्लाई समय पर नहीं कर पा रहा हूं, इस कारण मैं बिन्नी लिमिटेड से कपड़ा सप्लाई करवाना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी बजट सेशन में, 1982–83 का जो बजट पेश हुआ था, उसमें ब्लडेड यार्न पर भारी छूट दी गई और उसका परिणाम यह हुआ कि जो कपड़ा रक्षा मंत्रालय को चाहिये था वह प्रति मीटर दो रुपये कम हो गया । जो मूल टेंडर बिन्नी ने डाला था 44.65 रुपये का वह घटकर 42.65 रुपये पर आ गया । लेकिन वाणिज्य मंत्री महोदय को एन टी सी के डायरेक्टर मार्केटिंग महोदय ने धोखे में रखा, गुमराह किया और बताया नहीं, नहीं तो रक्षा मंत्रालय का दो करोड़ 6 लाख 83 हजार 55 रुपये का नुक्सान नहीं होता । उपाध्यक्ष जी, एन टी सी बिना सोचे समझे अपना टेंडर जो 49 रुपये का मिला था, उसको बिन्नी लिमिटेड मद्रास को 48 रुपये में ट्रांसफर कर दिया । बिन्नी लिमिटेड को आर्डर दे दिया गया ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने 9 तारीख को प्रश्न के उत्तर में इस सदन में बताया था कि बांबे में हड़ताल है, इस कारण मैं कपड़े की सप्लाई नहीं कर पा रहा था । रक्षा मंत्रालय को समय पर कपड़ा देना जरूरी था । परन्तु मंत्री जी ने नहीं सोचा कि एन टी सी में केवल बम्बई की ही मिलें नहीं हैं । उसमें 112 मिलें हैं । डायरेक्टर मार्केटिंग ने अपने सबसीडरीज तक को नहीं बताया जैसे एन टी सी (ए. पी. के. एम. के.) एन टी सी (डी० पी० आर०) एन टी सी (डब्ल्यू बी ए० बी.) एवं अन्य इकाईयों को भी नहीं बताया कि हम कपड़े की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और मंत्री जी ने लिखवा दिया कि रक्षा मंत्रालय को हम 48 रुपये में कपड़ा सप्लाई करते हैं । मंत्री जी ने 9 तारीख को कहा कि क्योंकि बिन्नी में सरकार का पैसा लगा हुआ है ।

पब्लिक बैंकिग इंस्टीटयूशंज का पैसा लगा हुआ है । परन्तु बिन्नी लिमिटेड न तो पब्लिक अन्डरटेकिंग है और न ही एन टी सी द्वारा मैनेजड है । बैंकिंग इंस्टीट्यूशंज से इसको पैसा मिलता है । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की बड़ी से बड़ी मिलों में बैंकों का पैसा लगा होता है, बैंक उनको पैसा देते हैं, पब्लिक बैंकिग इस्टीट्यूशंज उनको पैसा देती है परन्तु वह सरकार का नहीं होता । नौ तारीख को मंत्री महोदय ने सदन को पूरी तरह से गुमराह किया जब उन्होंने बताया कि बैंकों का पैसा लगा हुआ है । बैंकों ने पैसा खर्च किया है, इस नाते मैंने बिन्नी को यह आर्डर सौंप दिया । रक्षा मंत्रालय को अवश्य ही कपड़े की जरूरत थी । जब बलैंडिड यार्न की कीमत कम हो गई, टेंडर उसका 42 रुपये पर आ गया, मूल टेंडर जो बिनी ने 44.65 पैसे का भरा तो 48 रुपया देने की कृपा आपने कैसे की । स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं किसी

[श्री कृष्ण चन्द्र पांडे]

न किसी लेवेल पर भारी घोटाला हुआ है। मैं इस का स्पष्ट उत्तर मंत्री महोदय से चाहता हूं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय का एक और टेंडर था पैंतीस लाख मीटर खाकी ड्रिल का। उसने डी जी एस एंड डी को खाकी ड्रिल की सप्लाई के लिये कहा। डी जी एस एंड डी ने डिमांड निकाली, टेंडर नम्बर बी टी एक्स 2/1269/सं: ओ ए बी/094/ 18-12-82। इस टेंडर के जवाब में एंग्लो फ्रेंच मिल पांडीचेरी का 6 रुपया 54 पैसे का टेंडर लोएस्ट पाया गया। परन्तु फिर डी जी एस एंड डी ने एन टी एस को बुलाया और कहा कि आप अगर कपड़ा सप्लाई करना चाहते हैं तो चूंकि आपको प्राइस प्रेफ्रेंस है दस परसेंट का, मैं आपको कपड़ा सप्लाई करने के लिये देता हूं। 7 रुपये 4 पैसे में खाकी ड्रिल सप्लाई करने का आर्डर इस तरह से एन टी सी को मिला। परन्तु हुआ क्या? एन टी सी वहां भी कपड़े की सप्लाई कर नहीं पाई। एन टी सी ने डी जी एस एंड डी को फिर लिखा कि हम कपड़ा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वदेशी काटन मिल पांडीचेरी से कपड़ा सप्लाई कराना चाहते हैं, इस वास्ते कृपा हमें आदेश दें। डी जी एस एंड डी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि चूंकि स्वदेशी काटन मिल पांडीचेरी आप की मैनेज्ड मिल हैं, उसे किसी प्रकार का प्राइस प्रैफ्रेंस नहीं है, इस वास्ते यदि आप कपड़ा सप्लाई करना चाहते हैं, तो आप करें लेकिन आपको इसे लोएस्ट टेंडर पर करना होगा, एंग्लो फ्रेंच मिल पांडीचेरी ने जिस रेट पर सप्लाई करने का टेंडर भरा है 6.54 उसी दर पर आपको भी करना पड़ेगा। एन टी सी ने उसे स्वीकार किया। डी जी एस एंड डी का आर्डर 14 जुलाई, 1982 का है यानी हमारे प्रश्न के बाद का है। पचास पैसे के फर्क को न तो डी जी एस एंड डी मानने के लिये तैयार है और न रक्षा मंत्रालय और न ही पब्लिक एंटरप्राइजिज ब्यूरो। पांच रुपया 35 पैसा कैसे रक्षा मंत्रालय ने मान लिया? इस फर्क को, मान्यवर, यह सोचने की बात है। इसमें कहां घपला है, कहां अन्तर है, यह कौन तत्व हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी के मजबूत शासन को बदनाम करना चाहते हैं, इसका साफ साफ जवाब मैं मंत्री जी से चाहता हूं। मंत्री जी को किसने गुमराह किया है, और उस अधिकारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्यवाही की? रक्षा मंत्रालय को इन्होंने कैसे लैटर लिखा? क्या इन्होंने ब्यूरो आफ़ पब्लिक एन्टरप्राइजेज से पूछा बिन्नी मिल की प्राइस प्रीफ़रेंस है क्या? क्या इन्होंने मिनिस्टी आफ फाइनेंस से पूछा कि बिन्नी को आपने दे दिया है पैसा इस नाते बिन्नी को प्राइस प्रीफ़रेंस दे दें? हमें मालूम है कि माननीय प्रणव कुमार मुखर्जी वाणिज्य मंत्री थे, बिन्नी में स्ट्राइक थी, मजदूर आन्दोलन कर रहे थे, उस समय बैंकों द्वारा बिन्नी को पैसा दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट आज भी बिन्नी का ही है। हमारे अधिकारी कुछ डायरेक्टर मात्र हैं। 5 रु० 35 पैसा रक्षा मंत्रालय ने.....

18 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That mill is in my constituency.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): And Defence Minister's constituency, and still *hera pheri* is going on.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे: सवाल यह है कि 50 नया पैसा खाकी ड्रिल में जो डी० जी० एस० डी० से एन० टी० सी० लेना चाहती थी उसको दिलाने के लिये डी० जी० एस० डी० तैयार नहीं हुये, न ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टर प्राइजेज तैयार हुआ, फिर इस केस में 5 रु० 35 पैसा कैसे रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार किया। हमें माननीय पाटिल

की योग्यता में अविश्वास नहीं है, लेकिन इनको किसने गुमराह किया और हमारी सरकार और रक्षा मंत्रालय को गुमराह करने की कोशिश की है ?

बिन्नी मिल को सप्लाई का जो मूल टेंडर दिया गया था उसमें और जो आज आर्डर दिया गया 48 रु० पर, उसमें फ़र्क है 1 करोड़ 61 लाख 58 हजार 605 रु० का। जब बिन्नी ने मूल टेंडर में 44.65 पैसे लिखा तो उसे 48 रु० पर रक्षा मंत्रालय को कपड़ा सप्लाई करने का आदेश कैसे मिल गया ? इन बातों का खुलासा होना चाहिये।

बिन्नी मिल क्या पब्लिक अन्डरटेकिंग है ? क्या यह एन टी० सी० द्वारा या ब्यूरो आफ़ पब्लिक एन्टर प्राइजेज द्वारा मैनेज्ड है ? क्या बिन्नी को प्राइस प्रीफ़रेंस दिया गया ब्यूरो आफ़ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा इसका खुलासा होना चाहिये ?

एन० टी० सी० की 112 मिल्स हैं, जिनमें से केवल 12 मिल्स में हड़ताल रही। 100 मिलें काम कर रही थीं। एनटी० सी० के मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय को उनसे पूछना चाहिये था कि आप लोग कपड़ा सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं ? लेकिन किसी से कोई बात नहीं पूछी गई, किसी भी सब्सिडियरी के जनरल मैनेजर से कोई जानकारी नहीं की गई और आर्डर तोहफे के तौर पर बिन्नी मिल्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय को बिनी लिमिटेड कोटेंडर देते समय क्या यह बताया गया था कि बिन्नी मिल्स ने जो मूल टेंडर भरा था वह 44 रु० 65 पैसे का भरा था ? क्या यह बताया गया था कि 1982-83 के बजट में कपड़े का दाम बलेन्डेड यार्न का बढ़े हुये कपड़े के दाम पर प्रति मीटर 2 रु० कम हो गया था ?

रक्षा मंत्रालय ने 42 रुपये 65 पैसे के स्थान पर 48 रुपये देना स्वीकार कर लिया था, यह सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। कपड़े की रगाई में भी बहुत घपला हो रहा है। कपड़े की रंगाई के लिये फरवरी, 1982 में एन० टी० सी० ने कुछ कम्पनियों से 8 रुपये प्रति मीटर पर बातचीत की, लेकिन आज कपड़ा किस दर पर रंगा जा रहा है, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

जब फरवरी, 1982 में 8 रुपये प्रति मीटर पर रंगने के लिये कहा गया तो आज 9 रुपये 50 पैसे पर रंगाई कैसे हो रही है ? इस से 45 लाख 30 हजार रुपये की हानि हो रही है। मूल टेंडर में जब बिन्नी ने 42 रुपये 65 पैसे रेट भरा तो उसे 48 रुपये कैसे दिये गये ? रगाई में क्यों बढ़ोत्तरी की गई ? इन सारी बातों की मैं जानकारी चाहता हूं।

वाणिज्य मंत्री ने जो रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा, उसमें क्या यह लिखा कि बिन्नी ने मूल टेंडर में 42 रुपये 65 पैसे भरा है ? अगर लिख देते तो शायद ऐसा न होता। जब 50 पैसे स्वदेश काटन मिल को आप नहीं देना चाहते, 5 रुपये 35 पैसे देना नहीं चाहते तो इसमें बहुत घपला घोटाला है। मैं मंत्री जी से अपील करूगा कि जनहित को दृष्टि में रखते हुये, पार्टी इमेज को कायम रखते हुये, वह साफ साफ जवाब दें।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं सही है कि 30 लाख मीटर कपड़ा बनाने का आर्डर डिफ़ेंस मिनस्ट्री की तरफ़ से एन० टी० सी० को दिया गया था। प्रश्न का जवाब देते समय भी मैंने यह बतलाया था कि उस समय ही डिफ़ेंस मिनिस्ट्री में था और मेरे कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, मेरे उसमें होने के नाते यह आर्डर दिया गयाथा। मैं माननीय सदस्य की मालूमात के लिये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसे टेंडर निकलते हैं तो उस समय मिनिस्टर उसमें कोई हिस्सा

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

नहीं लेते हैं, न बोलते हैं न किसी से बात करते हैं और न टैंडर पर सही करते हैं। जब यह आर्डर दिया गया तो मैंने यह आर्डर पास कर दिया कि यह एन० टी० सी० पर जाना चाहिये, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिये अगर एन० टी० सी० से दूसरे मिल कम पैसे पर देने के लिये तैयार है तो भी एन० टी० सी० को यह आर्डर दिया जाना चाहिये। एन० टी० सी० को इसलिये ताकि मजदूरों को काम मिले और एन० टी० सी० को फायदा हो।

जब आर्डर दिया गया, उस समय इस आर्डर के नेगोसियेशन में किसी भी समय मेरा कोई संबध नहीं था। मेरे पास जो नोट आया था उसके सिवाय मैंने और कोई कागजात नहीं देखे थे।

दूसरी चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि कामर्स मिनिस्ट्री में जाने के बाद मैंने डिफ़ेंस मिनिस्ट्री को बिन्नी को कपड़ा देने के लिये खत लिखा हुआ नहीं है। वहां पर बैठ कर भी जो एन० टी० सी० काम करती है, उसके सबंध में मिनिस्टर कोई नैगासियेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं। एन टी सी एक कार्पोरेशन है, एस टी सी और एम एम टी सी कार्पोरेशन्ज़ हैं। उनके अधिकार हैं, वे अपने अधिकारों में काम करते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है और हम उसके बारे में मालूमात चाहें, तो हम मगा सकते हैं या आवश्यकता होने पर डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन जब वे कन्ट्रेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में मिनिस्टर से पूछने की पद्धति नहीं है।

मैं बताना चाहता हूं कि मैंने डिफ़ेंस मिनिस्ट्री को पत्र नहीं लिखा है, मैंने इसमें पूछा नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन यह जरूर है कि कामर्स मिनिस्ट्री के एक आफ़िसर ने डिफ़ेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखा कि ऐसा कहा जाता है कि आपकी कपड़ा जल्दी चाहिए, बम्बई में हमारी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं और बम्बई की मिलें ही नूतन, माडर्न मिलें हैं, वहां एक-तिहाई कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया था, इसलिए अगर आपको आपति न हो तो कपड़ा दूसरी जगह से मगा लिया जाए। मुझे उस पत्र के सारे कन्टेन्ट्स याद नहीं हैं, लेकिन शायद बिन्नी का नाम उसमें लिखा हुआ था। डिफ़ेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने उनको लिखा कि आप बिन्नी से कपड़ा ले सकते हैं इसके बाद उन्होंने शायद बिन्नी को आर्डर दिया। कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये सब बातें मेरी मालूमात में नहीं आईं। कब आई?— जब उससे एक दूसरा सवाल उठा, तब मेरी मालूमात में आई।

किसी अधिकारी ने मिनिस्टर को गुमराह किया, यह कहना गलत होगा। किसी अधिकारी ने मिनिस्टर को गुमराह नहीं किया है। मिनिस्टर ने ख़त नहीं लिखा है, किसी से पूछा नहीं है, नेगोशिएशन्ज़ में भाग नहीं लिया है।

अब सवाल पैदा होता है कि 30 लाख मीटर कपड़ा बनाना है और एक-तिहाई कपड़ा बम्बई की मिलों में बना रहा है। बम्बई की मिलें उस समय चार महीने से बन्द थीं। जब कपड़ा बनाने का आर्डर डिफ़ेंस मिनिस्ट्री से दिया गया था, तो यह सवाल भी उठाया गया था कि शायद एन टी सी की कपड़ा बनाने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं वह बना पाएगी या नहीं। मगर एन टी सी को बनाने के लिए कहते हुए यह इच्छा थी कि टाइम्स फेम के अन्दर कपड़ा सप्लाई किया जाएगा इस लिए यह पूछा गया था कि उधर से कपड़ा बनाने के लिए कहना है या नहीं।

इसके बाद यह सवाल किया गया है कि बम्बई की मिलों द्वारा कपड़ा बनाना बन्द करने के बाद दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने के लिए आर्डर दिया गया या नहीं। हां, दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा कि एन टी सी के पास 110, 112 मिलें हैं, सिर्फ़ बम्बई की मिलें बन्द हैं, तो दूसरी मिलों को आर्डर क्यों नहीं दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मुझे बताया गया है कि जो टेरिकाट कपड़ा बनाना है—मैं एक्सपर्ट नहीं हूं—वह कुछ खास प्रकार की मिलों में बन सकता है, वह सब मिलों में बनाना मुश्किल है। बम्बई में मिलें वह कपड़ा बनाने के योग्य थीं और दूसरी जगह जो मिले वह कपड़ा बनाने के योग्य थीं, उनको कपड़ा बनाने का ज्यादा आर्डर दिया गया है। एन टी सी, गुजरात और एन टी सी, तामिलनाडू को ज्यादा आर्डर दिया गया है। एन टी सी, मध्य प्रदेश को भी ज्यादा कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। एन टी सी, डी पी आर, को भी ज्यादा कपड़ा बनाने का आर्डर दिया गया है। मगर पता चला है कि यहां पर काम करने वाले लोग स्किलफ़ुल नहीं हैं और वहां की मशीनें भी उस प्रकार की बनी हुई नहीं हैं। एन टी सी का कहना है कि इस लिए हमने बिन्नी को कपड़ा बनाने के लिए दिया है। इस लिए यह कहना ठीक नहीं है कि एन टी सी की दूसरी मिलों को कपड़ा बनाने के लिए नहीं दिया गया है। दूसरी मिलों को भी कपड़ा बनाने के लिए दिया गया है।

एक सवाल यह भी उठाया गया है कि बिन्नी ने 44 रुपये याड कपड़ा बनाने का टेंडर दिया था और एन टी सी ने 48 रुपये याड से कपड़ा बनाने का आर्डर उनको दिया है। मुझे यह मालूम नहीं है कि जब इन दोनों में यह कन्ट्रेक्ट हुआ उस समय उनके ध्यान में यह बात आई या नहीं, बिन्नी ने उनके ध्यान में यह बात लाई या नहीं, एन टी सी को यह बात मालूम थी या नहीं। इस बारे में मुझे मालूम नहीं है। जब मैंने यह पूछने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया कि कन्ट्रेक्ट के बाद बिन्नी का कहना था कि कोई पैकिंग वगैरह का फ़र्क है, इस लिए पहले 44 रुपये देने के लिए कहा था, बाद में 48 रुपये में देने के लिए कहा है। दूसरी चीज जो बतायी गई वह यह है कि उस समय वह टेंडर दिया गया था और बाद में जो दिया गया है वह शायद इसलिए कि हम एक अलग परिस्थिति में हैं, यह देख कर भी शायद उस को ध्यान में लिया गया होगा और इसलिए 48 रुपये में उन को आर्डर दिया गया।

अब यहां पर सवाल ऐसा पैदा हो जाता है कि उन्होंने अगर 44 रुपये में डिफ़ेंस मिनिस्ट्री को कपड़ा देने के लिए कहा था और बाद में 48 रुपये में एन टी सी से आर्डर लिया है तो मैं ऐसा समझता हूं कि उन को उस समय बताना चाहिए था कि 44 रुपये में हम ने कांट्रेक्ट किया है और आर्डर लिया है और नहीं तो 44 रुपये में ही उनको देना चाहिए। 48 रुपये के अन्दर अगर वह चाहते हैं कि एन टी सी कपड़ा ले तो मैं ने पहले भी यहां पर क्वेश्चन के समय भी कहा था कि कपड़ा हम ने लिया नहीं है, उन को पैसे हम ने दिए नहीं हैं, अगर यह इस तरह की इन्फ़ार्मेशन उन्होंने उस समय डिस्क्लोज़ नहीं की है तो यह तो बात दुरुस्त नहीं है और इस हालत में जब कि 44 रुपये के अन्दर वह कपड़ा डिफ़ेंस मिनिस्ट्री को देना चाहते थे और 48 रुपये के अन्दर एन टी सी की तरफ़ से देना चाहते हैं तो यह कांट्रैक्ट का कपड़ा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस का निश्चय हम आप के कहने

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

पर छोड़ देते हैं। हम यह कहेंगे कि हम ऐसा कांट्रेक्ट नहीं चाहते हैं। 44 रुपये में अगर वह मिल सकता है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेना चाहते। 48 रुपये में मिलता है तो नहीं लेना चाहते।

हम यह जरूर करेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे, उन से कहेंगे कि हमें थोड़ा टाइम एक दो महीने का दे दीजिए। वह हम को दे देंगे। ह ं उन को समझा लेंगे। इस के बाद भी हम कहते हैं कि एन टी सी की तरफ से पूरी ताकत लगा कर यह काम करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन यह जो कांट्रेक्ट दिया गया है मुझे ऐसा बताया गया है कि इस हालत के अन्दर एक कांट्रैक्ट दिया गया है और इसलिए दिया गया है, उन्होंने यह भी मुझे बताया कि यह जो बिन्नी मिल है यह पहले पूरी तरह से बिगड़ गई थी। आप तो जानते ही हैं, आप के इलाके की मिल है, वहां मिल चलाने का सवाल पैदा हो गया था और इसलिए यह किया गया था। आप की मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिन्नी मिल के अन्दर जो शेयर्स हैं वह सारे फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस के शेयर्स हैं। आप ने बार बार पूछा है कि मेनेज कौन करता है? सरकारी लोग करते हैं या खानगी लोग करते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि मैनेज कौन कौन करते हैं–इस के चेयरमैन हैं एस एन हाडा, नामिनी आइ डी बी आइ। दूसरे लोग हैं– श्री वी के पी राव, होल टाइम डायरेक्टर श्री आर एल प्रभु, डायरेक्टर इन चार्ज आइ एफ सी आइ, श्री एल के रत्ना, डायरेक्टर फर्ग्युसन रेप्रेजेन्टिग ग्रुप, श्री पी के शाह, डायरेक्टर, यू टी आइ, श्री एन सी कृष्णा, डायरेक्टर एल आई सी, श्री आर सी मैया, डायरेक्टर, एस वी आइ, श्री बी के शुन्गलू, डायरेक्टर गवंनमेंट आफ इंडिया, श्री जे सी अलेग्जेंडर, डायरेक्टर कनार्टक स्टेट, श्री सी राम चन्द्रन, डायरेक्टर गवनमेंट आफ तामिलनाडु, और श्री एम दामोदरन हैं आलटरनेट डायरेक्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया फार श्री वी के शुन्गलू।

ये सारी चीजें देखने के बाद आप को पता चलेगा कि यहां का पूरा डायरेक्टरेट गवर्नमेंट की तरफ से और फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस की तरफ से चलाया गया है..

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : जवाब कलीयर नहीं हुआ, मैंने पूछा कि क्या यह पब्लिक अंडरटेकिंग है या मैनेज्ड है एन टी सी के द्वारा? अगर बिन्नी को प्रेफरेंस मिलता है, 44 रुपये 65 पैसे के बजाय 48 रुपये के टेंडर दिलाए गए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एन टी सी के द्वारा मैनेज्ड है या पब्लिक अंडरटेकिंग है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने यह बताया है कि एन टी सी को या कामर्स मिनिस्ट्री को उस में कोई रुचि नहीं है बिन्नी से लेने में। हमारा प्रयास यह रहा है कि हमने जिद् करके और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जिद् कर के यह कांट्रैक्ट एन टी सी को दिया है और एन टी सी ने जिद् करके यह कांट्रेक्ट लिया है। न डिफेंस मिनिस्ट्री के उन को दिया और न एन टी सी ने उनको देने दिया। बहुत सारी मिल्स वहां पर कपड़ा बनाने के लिए आई लेकिन न डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन को दिया न एन टी सी ने देने दिया। अब जिद् यह है कि कपड़ा तैयार करके देना है। लेकिन अब बाम्बे की स्ट्राइक तो एन टी सी ने नहीं की है और बाम्बे की स्ट्राइक की वजह से, 12 मिलों की स्ट्राइक वहां है। एक तिहाई कपड़ा वहां बनना है, यानी कम से कम 9–10 लाख मीटर कपड़ा वहां बनता है। इस लिए प्रयत्न है कि उसको देना है। लेकिन आप सभी नहीं चाहते हैं तो हमें कोई रुचि नहीं है। **(व्यवधान)** मैं यह

बता रहा था कि यह जो बिन्नी मिल है, आप जानते हैं कि यह बेकार ही मिल थी और वहां पर लोगों को काम देने के लिए आप सभी ने कहा कि उसको उठाना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन को उसे पैसा देने के लिए भी कहा गया ताकि मजदूरों को काम दिया जा सके। उसके बाद उसका मैनेजमेंट भी किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में नहीं रखा गया, यह बात भी मैंने आपको बता दी है। पहले मैंने हिन्दी में बताया था और अब डा० स्वामी को शायद अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। मैंने बताया कि इन हालात में उनको दिया गया वरना हमारी किसी में भी कोई रुचि नहीं है। आप कहें तो हम छोड़ दें। जैसा मैंने आप को पहले बताया कि हमने जिद करके डिफेंस मिनिस्ट्री से यह आर्डर लिया है और जिद हम जरूर करेंगे बाद में भी इतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम और हमें दे दें ताकि हम कपड़ा दे सकें।

जहां तक प्रोसेसिंग का सवाल है एन टी सी की टोटल प्रोसेसिंग कैपिसिटी तीन लाख मीटर प्रति माह की है। इसमें एक लाख मीटर की प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी बाम्बे मिल की है और बाम्बे की मिलें 6 महीने से बन्द हैं। अब जो कपड़ा हम बना रहे हैं हर महीने चार, साढ़े चार लाख मीटर उस कपड़े को प्रोसेस करना है। अगर हम चार, साढ़े चार लाख मीटर कपड़ा भी बनाकर और प्रोसेस करके डिफेंस मिनिस्ट्री को दें तब भी हम एक्सटेन्डेड टाइम में ही दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा दो लाख मीटर की प्रोसेसिंग तो हम कर सकते हैं फिर बाकी का क्या करें? अब जो कार्पोरेशन्स हैं उनको थोड़ी सी ज्यादा आटोनामी देने की वजह से, कांट्रैक्टस वगैरह की जानकारी मिनिस्ट्री को नहीं होती है। हम उनको डायरेक्शन्स देते हैं लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि उन्होंने किसको प्रोसेसिंग के लिए दिया। लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि कपड़ा देना है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा कि प्रोसेसिंग का काम करके देंगे। अब इसमें कोई गलती हुई है—ऐसा मुझे नहीं लगता है लेकिन आप कहते हैं कि गलती हुई है तो यह पार्लमेंट सुप्रीम है।

THE MINISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN): Sir, since the Defence Ministry has been mentioned in the statement, I would like to clarify the position.

At the outset I would make it clear that not one yard has been given by the Binnys and not a pie of money has been given to the Binnys. The Commerce Ministry said that they were unable to fulfil the contract and asked the Defence Ministry whether we would accept the Binny cloth. You know, Sir, that Binnys have been supplying the Defence Ministry cloth ever since the Second World War and it is well-known. Therefore, the Defence Ministry had no objection. But when it came to a question of pricing, the Commerce Ministry officials held the view that because it was managed by the IDBI, it was also of the same character as a public sector undertaking and would be entitled or eligible for the 10 per cent preference. The grammarians that we are, we sad that they were not entitled and we refused to give them the 10 per cent preference. We told them that if we have to accept the cloth from Binny, they will have to give it at the tendered price of Rs. 44 and paise 65. Otherwise the Defence Ministry will not accept and they are not entitled to the 10 per cent price preference which is given to public sector undertakings. Therefore, there, was not a yard of cloth given, nor one pie of money given to them. Nothing has happened. The

[Shri R. Venkataraman].

only question was whether in view of the fact that the IDBI and the banks have taken over the management of the Binny's, whether they were eligible for the 10 per cent or not. Our interpretation was that they were not entitled to it. Therefore, they did not give it. Nothing has been lost. No money has been spent. Pandeyji has said that crores of rupees have been lost. Nothing has been lost. In fact, I would inform the House that in an internal meeting in which the officials of the Commerce and Defence Ministries were present, the Defence Ministry people said that the correct interpretation was that they were not eligible for this 10 per cent price preference and, therefore, they would have to supply the cloth at the tendered price of Rs. 44.65. Therefore, there has been nothing lost. I would say that the matter may be closed.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एन० टी० सी० राष्ट्रीय सम्पत्ति है । इस देश के हर इन्सान को यह अधिकार है कि एन० टी० सी० में चलने वाली गड़बड़ियों की ठीक से जांच की जाए । मैं मानता हूं कि वाणिज्य मंत्री जी की नीयत साफ है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह घोटाला कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है । हम लोगों को यह मालूम है कि आपके डिपाटमेंट में ऐसे डायरेक्टर कमर्शियल हैं ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are entitled to ask only one question. Please put question only. He has already dealt with it exhaustively.

श्री कमलामिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करता हूं । (क) क्या यह बात सत्य है कि**

वर्तमान में जो एन० टी० सी० के कामर्शियल निदेशक है, ने आपको मिस लीड किया है और उन्होंने पांच लाख रुपया बिन्नी से इस डिल में कमा लिया है ? (ख) क्या यह सत्य है कि कामर्शियल डायरेक्टर के नाम का स्टेट बैंक हैदराबाद—सूर्य किरण बिल्डिंग में बैंक एकाउन्ट है ? यदि है, तो क्या आप जांच करने के लिए तैयार हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलती है और उनके एकाउन्ट में कितना पैसा जमा है ? (ग) क्या उन्होंने इंडियन पैट्रोलियमकैमिकल बड़ौदा से कच्चे माल के लिए कोई डील किया है तथा स्वदेशी पोलीटैक्स फार कन्वर्जन इनटू फैब्रिक के लिए डील किया है ? (घ) क्या यह बात सत्य है कि बम्बई के सी० सी० आई० कल्ब में उन्होंने जुआ खेला और पचास हजार रुपया हार गए ? अगर यह बात सत्य है, तो यह रुपया उनके पास कहां से आया ?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Are all these questions relevant?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Finance Minister has very clearly said that not a single yard of yarn has been taken and that not a single pie has been spent. So, you put only relevant question. I cannot allow everything and anything.

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या यह बात सत्य है कि एन० टी० सी० अपने कपड़ों को रंगने के लिए दूसरे एजेंसियों को भी अपने माप दंड के अनुसार देती है और जो एजेसियां उस मापदड के अनुसार काम नहीं करती; उनसे मुआवजा नहीं लिया जाता तथा इससे सरकार को भी घाटा होता है ? क्या यह बात सत्य है कि एन० टी० सी० में ऐसे अधिकारी उच्च पदों पर हैं, जो चार पदों को एक साथ संभालते हैं और मैनेजमेंट में एफिशियेंसी आ रही

**Not recorded.

है या उससे गिरावट आ रही है ? क्या यह बात सत्य है कि इस चीज को दूर करने के लिए कि एक ही आदमी चार पदों पर काम न करे, अलग-अलग पदों पर अलग-अलग आदमी काम करे, इस ओर ध्यान देगी ?

क्या आप सी० बी० आई० की या पार्लियामेंट की कोई हाई-पावर्ड कमेटी इन बातों की डिटेल जानने के लिये तथा एन्क्वायरी के लिये एप्वाइन्ट करने जा रहे हैं ?

क्या ऐसा करने वाले लोगों को आप सस्पेण्ड करने जा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बहुत हद तक इस बात को स्वीकार किया है कि जो रक्षा मंत्रालय का मूल टेन्डर था उसमें बिन्नी ने 44 रुपये 65 पैसे का रेट कोट किया था । जब एन० टी० सी० ने अपने टेन्डर के अगेन्स्ट उनको सप्लाई का आर्डर दिया तो वह 48 रुपये पर दिया. . . . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Did you hear the Defence Minister? No transaction has taken place, no single pie has been paid, not a single yard of yarn has been taken? It is very clear. The Half-an-Hour Discussion is not just for the sake of raising a discussion. It should be a little more rational.

श्री हरीश रावत : एन० टी० सी० ने बिन्नी को 48 रुपये पर ठेका क्यों दिया ? उस समय अन्य मिलों से भी पूछना चाहिये था, हो सकता है अन्य मिलें कम पैसे पर एग्री कर जातीं, 42 रुपये, 44 रुपये या 46 रुपये पर एग्री कर सकती थीं । इस से साफ जाहिर होता है कि जल्दबाजी में एन० टी० सी० के मैनेजन्मेंट ने बिन्नी को यह ठेका दे दिया ।

मैं मानता हूं—इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उन के इरादे में कोई गलती नहीं है, लेकिन स्थिति को देख कर यह लगता है कि एन० टी० सी० मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जिस का इन्टरेस्ट बिन्नी के साथ जुड़ा हुआ था मंत्री जी खुद इस बात को मानते हैं कि कोई पैसा नहीं लिया गया, अभी तक कोई एम्बेजलमेंट नहीं है, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती थी अगर यह बात यहां न उठती । इस में एन० टी० सी० को नुक्सान हो सकता था । जिस की लापरवाही से यह स्थिति पैदा हुई है, जो लोग इस के लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

नट-शेल में मैं यह कहना चाहता हूं—एन० टी० सी० द्वारा बिन्नी को जो सप्लाई का टेन्डर दिया गया है, रक्षा मंत्रालय से बात-चीत कर के आप कोई दूसरा तरीका निकालिये जिससे बिन्नी को यह आर्डर न दिया जाय, ताकि लोगों को जो आशंका है कि इस में जो इल्लीगल ट्रांजेक्शन हुआ है, वह रुक सके ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब स्थिति है—माननीय रक्षा मंत्री जी यह कह रहे हैं कि वह इन्सिस्ट कर रहे थे कि कपड़ा 44 रुपये पर मीटर पर मिले लेकिन बिन्नी वाले 48 रुपये पर रुके हुए थे । जब मूल प्रश्न यहां उठा तो यह स्थिति वाणिज्य मंत्री जी ने क्यों नहीं बतलाई । उस वक्त हाउस को बतलाना चाहिये था कि डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री

[प्रो० नारायण चन्द पाराशर]

यह चाहती है और बिन्नी वाले यह चाहते हैं ?

दूसरी बात—इस वक्त यह सवाल नहीं है कि पैसे का ट्रान्जेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ? लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि लोक सभा में यह प्रश्न नहीं उठता तो यह घुटाला हो गया होता और इस में कपड़ा आप के आर्डर से बना है, यह आप ने खुद कहा है । आप ने ता० 9 को जो जबाब दिया है उस में आप कहते हैं कि 18 हजार मीटर कपड़ा अभी तक बन चुका है । यदि बन चुका है तो वह आप के आडर से बना है. . .

श्री शिवराज वी० पाटिल : वह हमारी एन० टी० सी० में बना है ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : हम तो यह कहना चाहते हैं कि जो बात आज डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री ने कही है कि वह इन्सिस्ट कर रहे थे, अगर यह उस वक्त कह दी जाती तो यह सारी डिस्कशन बेमानी हो जाती ; उस वक्त कह दिया जाता कि डिफ़ेन्स मिनिस्ट्री की यह राय है और हमारी यह राय है । इन्होंने 1981 का उद्धरण बतलाया कि इतने पैसे पर डी० जी० एस० एण्ड० डी० और पब्लिक ब्यूरो एन्टरप्राइजेज ने इन्कार किया कि नहीं दे सकते हैं 50 पैसे भी । तो उस वक्त तो रोक लगा दी गई, अब रोक नहीं क्यों लगा दी गई । सवाल सिर्फ इतना है । यह एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि 1981 में जब आप ने रोक लगा दी थी, तो अब क्यों नहीं लगाई । कपड़े सप्लाई किये गये या नहीं, पैसा दिया गया है या नहीं, It is immaterial to the main issue. The main issue is, you acted in one way in 1981 and you are acting in another way in 1982, whereas the Defence Ministry is holding another view.

और वह व्यू आपने क्यों नहीं बताया और क्यों उसके बाद यह ट्रांजेक्शन हो गया इस के पार्ट में आप ने यह भी कहा है कि आप की बम्बई की जो मिल्स हैं, वे मार्डन मिलें हैं और वे एक-तिहाई बना सकती हैं । इसका मतलब यह है कि आप के पास दो-तिहायी कपड़ा बनाने वाली दूसरी मिलें हैं । अगर आप चाहते तो उनको ज्यादा कपड़े बनाने के लिए कह सकते थे लेकिन अब आप यह कह रहे हैं कि टाइम दीजिए और बाद में बना देंगे । यह ठीक है कि बम्बई की मिलें स्ट्राइक पर चली गई लेकिन जा बाकी मिल हैं, उनको आप और ज्यादा टाइम देकर आर्डर पूरा करवा सकते थे । आप बिन्नी मिल्स के चक्कर में पड़े, यह मैं जानना चाहता हूं ?

SHRI DIGVIJAY SINGH (Sundranagar): Sir, I will take only five seconds to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, you are not allowed.

SHRI DIGVIJAY SINH: It will help the situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no.

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हमारे उधर बैठे हुए साथी ने बहुत सारे सवाल किसी अफसर के खिलाफ उठाए हैं । मैं समझता हू कि आप उन सवालों का जवाब देने के मुझे कहेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ कहा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस हाऊस का, इस सदन के फ्लोर का उपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ कहने के लिए न किया जाए, तः अच्छा रहता है । (व्यवधान) . . .

श्री कमला मिश्र मधुकर : अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहा हो,

ता पब्लिकमैन की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह उस को बतावे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If he has mentioned any officer by name, I will go through the records.

PROF. SATYA DEO SINGH (Chapra): Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No point of order. Please sit down. For everything you raise a point of order.

श्री शिवराज वी० पाटिल : किसी का बैंक बैलेंस कितना है और क्या कितना है, यह मुझे कैसे मालूम हो सकता है । सारे अफ़सरों के बैंक बैलस की जानकारी हमारे पास हो, तो हमारे लिए यह बड़ी मुश्किल हो जाएगी । इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।

एक बात और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं : कभी कभी अफ़सरों में भी झगड़े होते हैं और कभी कभी दूसरी जो मिलें हैं, उनमें भी झगड़े हो जाते हैं और वे झगड़े इसी सदन में लड़े जाते हैं । हम लोग उन्हें भी बचाने की कोशिश करते हैं और इन को भी बचाने की कोशिश करते हैं, इन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं और उन्हें भी दबाने की कोशिश करते हैं । इसलिए मेरी आप से एक विन्ती है कि आप अगर किसी के खिलाफ़ कुछ बोल रहे हैं तो सोच-समझ कर बोलियेगा और हम को उसके अन्दर मत लाइएगा । किसी अफ़सर ने अगर गल्ती की है और वह गल्ती नज़र आएगी, तो कानून के मुताबिक जो हो सकता है, वह किया जाएगा । आप बोल रहे हैं तो उस का प्रोटेक्शन देने का काम हमारा भी हो जाता है और अगर हम प्रोटेक्शन देने जाते हैं, तो हम भी उस के साथी बन जाते हैं । तो मैं आप से बिन्ती करता हूं कि किसी अफ़सर को बाजू ले कर यहां पर न आएं, तो उस में हम लोग भी बच सकते हैं और हमारी मिनिस्ट्री भी बच सकती है । अब पांडे जी हंस रहे हैं, देखिए इस का मतलब क्या है : (व्यवधान) :

दूसरा सवाल हमारे साथी ने यहां पर यह उठाया कि बिन्नी को क्यों यह दिया गया, दूसरों को क्यों नहीं दिया गया ? यह एक अहम सवाल है । मैं वार बार इस सदन में कह रहा था कि बहुत सारी मिलें कपड़े का कांट्रेक्ट लेने आई थीं । उन को वह नहीं मिला । इसलिए उन की क्या भावना है, यह हमें मालूम नहीं है मगर एन० टी० सी० को यह दिया गया । इस के बाद बिन्नी को क्यों दिया गया, मैंने उस का जवाब दिया है । मैंने यह बताया है कि यह जो मिल थी, यह बिगड़ी हुई मिल थी, बन्द होने वाली मिल थी। वहां के लोगों को काम देने के लिए फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से पैसा दिया गया ।

श्री हरीश रावत : वह सिक मिल थी । ठीक स्थिति में लाने के लिए यदि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ने पैसा लगा दिया और कुछ डाइरेक्टर्स उसमें रख दिये तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह गवर्नमेंट की पब्लिक अण्डरटेकिंग हो गई । आप सिक मिल पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस को ओवलाइज कर रहे हैं और इतना ओवलाइज करने पर और ओवलाइज कर रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं बता रहा था कि सिक मिल होने की वजह से फाइनेन्शितल इंसटीयूशन्स ने उसको पैसा दिया है और दूसरी बात जो खास बात है वह यह है कि दूसरी जो प्राइवेट मिल हैं, वे बिल्कुल अलग हैं और इससे अलग वह बात है इसका मैनेजमेंट पूरा

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

गवर्नमेंट के अफ़सरों के पास है । मैं आप को बता दूं कि पूरे डायरेक्टर्स की लिस्ट मेरे पास है । मैं आपको पढ़ कर बता सकता हूं । उन 11 डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीच्युशंस के हैं । 11 डायरेक्टर्स में 10 डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं । शायद इसकी वजह से दिया होगा ।

(व्यवधान)

आपने दूसरा सवाल उटाया कि आपने बिन्नी को क्यों दिया ?

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already put your questions. On every thing you are commenting. You may be feeling satisfied or not, let him reply first.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have raised a point. He is replying to your point.

SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR: He is not replying to our points.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That may be your view only.

श्री हरीश रावत : हम इनके व्यु का डाऊट नहीं कर रहे हैं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब जवाब दे कर गये हैं, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं । यह बात सही है कि बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी ने इस कांट्रेक्ट को कुबूल करने को कहा । 44 रुपये का भी है, ऐसा भी उन्होंने कहा था । जो पत्र कामर्स मिनिस्ट्री से डिफेन्स मिनिस्ट्री को लिखा गया है और जो पत्र वहां के ज्वाएंट सेक्रेटरी ने हमारे ज्वाएंट सेक्रटरी को लिखा है वह भी मेरे पास है । उसमें उन्होंने लिखा है कि यह कांट्रेक्ट दे दो । यह सारी बातें मालूम होने के बाद, डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से, डिफेंस मिनिस्ट्री से ऐसी चीज़ें आने के बाद यह किया गया । चूंकि उधर से उत्तर आया, दे दीजिए तो दिया गया । मैंने पूछा नहीं, हमारे अधिकारी ने पूछा नहीं, उनके अधिकारी ने बता दिया और उनको दे दिया गया । जब डिफेंस मिनिस्ट्री से उनके बड़ अधिकारी से चीज़ें मालूम हो गयीं कि सब दुरुस्त है तो दे दिया गया । जो डिफेंस मिनिस्ट्री से उत्तर आया वह हमारे पास है । यही कारण है कि उनको टेंडर दिया गया ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : दिस इज ए कन्ट्राडिक्शन इन द टू मिनिस्टरर्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन्सीस्ट किया कि 44 में दिया जाए, 48 में नहीं लेकिन उनकी तरफ से उत्तर आया । जः उत्तर आया वह आप बता दीजिए ।

आप यह कह रहे हैं कि उनकी तरफ से उत्तर आया और वह 9 तारीख के पहले का है और आपने यहां 9 तारीख को सवाल का जवाब दिया है तो उस दिन आपको अपने जवाब में यह कहना चाहिए था । वह आपने क्यों नही कहा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेर मेरे पास लेटर भी है और जो जवाब मैंने उस दिन दिया है, वह भी मेरे पास है । मैं आनन्दित हूं कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है ।

मैंने इस सवाल के जवाब में बताया है –;

"पहले 44 रु० के हिसाब से बना कर देने को कहा गया था, अब 48 रु० पर

दिया जा रहा है, इसलिए 4 रु0 का फर्क आ गया जिस से उनको टोटा है। तो जब पब्लिक अण्डरटेकिंग काम करने के लिए आती हैं तो दूसरे लोग भी आ जाते हैं, और जब ऐसा पता चलता है कि पब्लिक अण्डरटेकिंगस को ही आर्डर दिया जा रहा है तो दूसरे लोग भी सामने आते हैं और कम दाम भी कोट करते हैं जिससे तकलीफ होती है। यही सब देखने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जितना पैसा एन0 टी0 सी0 को जाने वाला था उस से एक भी पैसा ज्यादा नहीं दिया जा रहा है।"

यह मैंने उस वक्त भी बताया था। लेटर की डेट आप पूछ रहे हैं, वह भी मेरे पास है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : आप लेटर की डेट दे दीजिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : आप इस मामले को कम्पलीकेटिड मत बनाइये। मैं यह कह रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो कहा और मैंने जो कहा उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिर्क है। उनके सेक्रेटरी साहब ने जो कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। जूनियर आफिसर जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप ले सकते हैं। जब पता चला कि फर्क है तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे। इसमें कंट्राडिक्ट्री कुछ नहीं है। आप तारीख चाहते हैं—27 अप्रैल, 1982 को कामर्स मिनिस्टरी का जवाब गया है, 28 अप्रैल, 1982 को जूनियर अधिकारी का जवाब गया है।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply. Please sit down. You please hear him. Let him reply. Is he not replying?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: There is no contradiction in it.

कांट्राडिक्ट्री कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो संरक्षण देने का काम मेरा नहीं है। मैं उनको संरक्षण नहीं दूंगा, लेकिन उनकी गलती नहीं है। अगर मैं बिना गलती के कार्यवाही करूंगा तो एन टी सी चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि एन टी सी का कारोबार कैसे चल रहा है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सारी मिलें जो बन्द हो गई थीं, उनको हम चला रहे हैं। सभी जगह के लोगों को हम लेते हैं और अगर कोई गलती करता है तो कार्यवाही करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन अगर गलती नहीं है तो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने का काम भी हमारा है, नहीं तो अधिकारियों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं रहेगा।

मैं पाण्डेय जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी चीजें एक्स-पलेन करने का मौका दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी कार्य किया जाता है, कर्त्तव्य समझ कर किया जाता है। अगर कोई नुक्सान होता है तो उसको आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसको भी देखेंगे, मगर आप भरोसा कीजिए कि ईमानदारी से काम करने की हर जगह पर कोशिश हो रही है।

18.48 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 20, 1982/Asadha 29, 1904 (Saka).